कार्यालय टिप्पणी

अपील (आइ्ग0सी0डी0एस) प्रकरण सं0 52/17
अपराजिता बनाम बाल विकास परियोजना अधिकारी,श्रीगंगानगर।

उपस्थितः श्री लक्ष्मीकांत सैनी, अधिवक्ता, अपीलार्थिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक 14–7–17

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थिया उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थिया ने अपनी बहस में बताया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 9–11–16 के पैरा सं0 (6) के अनुसार किसी भी परिस्थिति में संयुक्त परिवार की महिलाएं यथा देवरानी, जिठानी, सास–बहु, ननद–भाभी का एक ही केन्द्र के लिए मानदेय सेवा में चयन नहीं किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में वार्ड सं0 29 में दो रिक्त पद थे। चयन समिति की बैटक उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर की अध्यक्षता में दिनांक 24–4–2017 को हुई और उसमें श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त का चयन हो गया। अपीलार्थिया अपराजिता पत्नी श्री मुकेश का चयन वार्ड पार्षद के यह कहने पर नहीं हुआ कि दोनों एक ही परिवार की सदस्य हैं। इसी कारण अपीलार्थिया का चयन नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर वार्ड सं0 29 में ऑगनबाड़ी 29 सी केन्द्र पर सहायिका के पद पर नियुक्ति दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

विभाग की ओर से रेकार्ड एवं रिपोर्ट प्राप्त हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि चयन समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर की अध्यक्षता में दिनांक 24–4–2017 को हुई और उसमें श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त का चयन हो गया। अपीलार्थिया अपराजिता पत्नी श्री मुकेश का चयन वार्ड पार्षद के यह कहने पर नहीं हुआ कि दोनों एक ही परिवार की सदस्य हैं। इसी कारण अपीलार्थिया का चयन नहीं किया गया है। विभागीय परिपत्र दिनांक 9–11–16 के पैरा (सी) के पैरा सं0 3 के अनुसार कोई भी प्रभावित पक्ष अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी 1 माह के भीतर प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेगें। प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11–7–17 के अनुसार चयन समिति की बैठक दिनांक 24–4–17 को आयोजित हुई थी, लेकिन इसके परिणाम की दिनांक अंकित नहीं की है। रिपोर्ट से समयावधि का ज्ञान नहीं होता है जिससे अपील में मियाद का बिन्दु निर्धारित नहीं हो सकता। इस पर वकील अपीलार्थिया ने निवेदन किया कि प्रकरण को वापिस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास भेज दिया जाये। अतः ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थिया के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील पर गुणदोष पर कोई निर्णय पारित न करते हुए नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु प्रकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी हो प्रेषित किया जाता है।

अतः हस्तगत अपील को उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। विभाग से प्राप्त रेकार्ड आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जावे। अपील निर्णित की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

14/7/17

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर